बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 163899 पटना, दिनांक:- 20/09/2013

ग्रा0वि0वि0/इं.आ.यो.(शिविर)-57/08

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभ देने के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 68756 दिनांक- 17.08.2011 एवं 128947 दिनांक- 09.11.2012 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभ पहुँचाने के संदर्भ में जिलों की पृच्छाओं के समाधान के क्रम में प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा यह निदेशित किया गया था कि संविदा/मानदेय पर कार्यरत कर्मियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को इंदिरा आवास के अंतर्गत सहायता अनुमान्य होगी, बशर्ते उनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में हो वर्तमान में उनका पक्का घर नहीं हो, स्थायी सरकारी सेवक न हो और पूर्व से इंदिरा आवास का लाभ नहीं दिया गया हो ।

इस क्रम में यह भी निदेशित किया गया था कि ऐसे परिवारों को लाभ देने के पूर्व बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के विहित प्रपत्र में अद्यतन स्थिति के साथ सर्वेक्षण अनिवार्य होगा तथा इन परिवारों को इंदिरा आवास का लाभ यह आश्वस्त होकर ही देय होगा कि संबंधित परिवार अभी भी स्कोर के आधार पर बी0पी0एल0 की पात्रता रखते है । इन परिवारों को स्वीकृति अनुमंडल पदाधिकारी की पूर्वानुमति से ही दी जायेगी ।

क्षेत्रीय निरीक्षण तथा विभिन्न माध्यमों (जन शिकायत सहित) से विभाग के संज्ञान में यह बात आ रही है कि संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों/पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों जो इंदिरा आवास लाभ के लिए पात्रता रखते है उनके संबंध में विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक में कार्रवाई नहीं की जा रही है और योग्य परिवारो को इंदिरा आवास के लाभ से वंचित रखा जा रहा है ।

अत: प्रासंगिक विभागीय पत्रों की प्रति पुन: संलग्न करते हुए अनुरोध है कि ऐसे मामलों के संबंध में विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

अनुलग्नक- यथावर्णित ।

विश्वासभाजन

20/9/13

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव ।

20/9/13

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक:- 128947 पटना, दिनांक:- 09-11-12

ग्रा0वि0-इ॰आ॰यो॰(विविध)-57/08

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा संविदा / मानदेय पर कार्यरत कर्मियों यथा आंगनबाडी सेविका / सहायिका, विकास मित्र, आशा कार्यकर्ता, न्यायमित्र, टोला सेवक, कृषि मित्र आदि को इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभ देने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा संविदा / मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सहायता राशि देने के संबंध में प्राय: जिलों के द्वारा पृच्छा की जाती है । इस संबंध में विदित हो कि इंदिरा आवास अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले गृहविहिन परिवारों को सहायता दिए जाने का प्रावधान है ।

2 विभागीय परिपत्र संख्या-68756 दिनांक 17.08.2011 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की गई थी वे आंगनबाड़ी सेविकाओं / सहायिकाओं, मानदेय पर नियुक्त शिक्षकों एवं विकास मित्रों को इंदिरा आवास का लाभ देने के पूर्व उनके बी0पी0एल0 स्कोर का मूल्यांकन करेंगे और यदि वे पाते हैं कि कोई कट ऑफ मार्क से ज्यादा अंक धारित करते हैं, तो विहित नियम का पालन करते हुए नाम हटवाकर बी0पी0एल0 सूची एवं फलस्वरूप प्रतीक्षा सूची संशोधित करावें ।

3 इसका तात्पर्य स्पष्टत: यह है कि ऐसा कोई निदेश नहीं है, जिसके अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों या पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इंदिरा आवास का लाभ देय नहीं है । उपरोक्त के निरंतरता में निम्नवत् अग्रेतत्तर दिशा निर्देश जाते हैं -

3.1 संविदा / मानदेय पर कार्यरत कर्मियों यथा आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका, मानदेय पर कार्यरत शिक्षक, गृह रक्षक, विकासमित्र, आशा कार्यकर्ता, न्यायमित्र, टोला सेवक, कृषि मित्र आदि तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को इंदिरा आवास के अन्तर्गत सहायता अनुमान्य होगी, बशर्ते

i. उनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में हो ।
ii. वर्तमान में उनका पक्का घर नहीं हो ।
iii. स्थायी सरकारी सेवक न हो ।
iv. पूर्व से इंदिरा आवास का लाभ नही दिया गया हो ।

3.2 ऐसे परिवारों को लाभ देने से पूर्व बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के विहित प्रपत्र में अद्यतन स्थिति के अनुसार सर्वेक्षण अनिवार्य होगा । इन परिवारों को इंदिरा आवास का लाभ यह आश्वस्त होकर ही देय होगा कि संबंधित परिवार अभी भी बी0पी0एल0 की पात्रता, स्कोर के आधार पर रखते है । इन परिवारों को स्वीकृति अनुमंडल पदाधिकारी की पूर्वानुमति से ही दी जायेगी।

कृपया तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन,

9.11.12

(अमृत लाल मीणा)

सचिव

ज्ञापांक :- 128947 पटना, दिनांक :- 09-11-12

प्रतिलिपि :- मा0 मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव 9.11.12

ज्ञापांक :- 128947 पटना, दिनांक :- 09-11-12

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 9.11.12

ज्ञापांक :- 128947 पटना, दिनांक :- 09-11-12

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 9.11.12

ज्ञापांक :- 128947 पटना, दिनांक :- 09-11-12

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 9.11.12

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 68756 पटना, दिनांक 17/8/11

ग्रा0वि0-7/इं0आ0यो0(शिविर)-57/08

प्रेषक,

ए0 संतोष मैथ्यू,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

विषय :- **ऑगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं, मनरेगा कर्मियों, मानदेय पर नियुक्त शिक्षकों एवं विकासमित्रों को इंदिरा आवास योजनांतर्गत लाभ देने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 25-27 जुलाई को बोधगया में आयोजित कार्यशाला में कुछ प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि ऑगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं, मनरेगा कर्मियों, मानदेय पर नियुक्त शिक्षकों एवं विकासमित्रों को इंदिरा आवास योजनांतर्गत लाभ दिया जाए अथवा नहीं ? इनका यह भी कहना था कि इनका नाम बी.पी.एल. सूची एवं स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल है तो इन्हें लाभ से किस आधार पर वंचित किया जा सकता है । इस संबंध में इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका में स्पष्ट उल्लेख नहीं है ।

इसी प्रकार कुछ जिलों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि विशेष अभियान के तहत आयोजित कैम्पों में कुछ लाभार्थी जिनका नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं वे शपथ पत्र पर बयान देने के लिए शिविर में उपस्थित नहीं हो रहे हैं । इसका कारण यह बताया जा रहा है कि उन्हें पूर्व से पक्का घर उपलब्ध है इसलिए वे शिविर में उपस्थित नहीं हो रहे हैं । ऐसी स्थिति में ऐसे परिवारों को आवास आवंटन के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाय ?

इस संबंध में स्पष्ट है कि वर्तमान बी.पी.एल. सर्वे 2002-07, '13' Indicator पर परिवार का स्तर को आधार बनाकर किया गया है । उदाहरण के लिए किसी परिवार को खाद्य सुरक्षा एवं प्रति व्यक्ति वस्त्र की उपलब्धता तथा साक्षरता में 1 Point सर्वे के समय दिया गया है । जैसे ही उस परिवार के एक सदस्य की मानदेय पर नियुक्ति हो जाती है, तो उस परिवार के आय में वृद्धि के फलस्वरूप उसका स्तर सुधर जाता है । यथा- दोनों समय अच्छा खाना खाने लगता है, प्रति व्यक्ति 6 से अधिक वस्त्र का उपयोग करता है तथा कम से कम इंटरमिडिएट की शिक्षा के चलते भी उसके Score में वृद्धि होती है । पूर्व में यदि उस परिवार को उपर्युक्त 3 indicator में एक-एक कर 3 अंक दिया गया है तो अब उसका स्तर बढने से इन तीनों Indicator में प्रति Indicator तीन अंक देने से उसका अंक बढ़कर 9 हो जायेगा । इस प्रकार अन्य Indicator में प्राप्त स्कोर के साथ पुनर् मूल्यांकन करने पर इनका स्कोर 13 से अधिक हो जाएगा और सम्प्रति बी.पी.एल. परिवारों के लिए निर्धारित स्कोर 13 से अधिक होने के फलस्वरूप वह बी.पी.एल. परिवार नहीं रह जायेगा तथा बी.पी.एल. सूची से बाहर हो जाने के कारण इंदिरा आवास के स्थायी प्रतीक्षा सूची से भी बाहर हो जायेगा । अतएव इनका जीवन स्तर सुधरने को आधार बनाकर ऐसे परिवारों के नाम को बी.पी.एल. सूची से बाहर किया जा सकता है । इस संबंध में पंचायत की ग्राम सभा वर्ष में एक बार बी.पी.एल. परिवारों की सूची की वार्षिक समीक्षा कर वैसे परिवार को, जो Cut of Score को पार कर गये हैं, नाम हटाने के लिए अनुशंसा कर सकती है ।

अनुमंडल पदाधिकारी बी.पी.एल. सूची में योग्य परिवारों के नाम को जोड़ने एवं अयोग्य परिवारों के नाम को हटाने के लिए प्राधिकृत हैं । बी.पी.एल. सूची में मानदेय पर नियुक्त कर्मियों के परिवारों के 13 Indicator पर मूल्यांकन कर देख सकते हैं कि वे वर्तमान में बी.पी.एल. के लिए निर्धारित Cut of Score '13' के अंदर हैं अथवा बाहर । यदि वे बी.पी.एल. सूची से बाहर हो जाते हैं तो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास का लाभ उन्हें देय नहीं होगा ।

प्रखंड विकास पदाधिकारी उपर्युक्त वर्णित परिवारों को चिह्नित कर अपेक्षित कार्रवाई हेतु सूची अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी जॉच अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करते हुए सूची से परिवारों का नाम हटाकर सूची को संशोधित की जायेगी ।

जहॉ तक विशेष अभियान के तहत आयोजित पंचायत स्तरीय शिविरों में इंदिरा आवास के लाभार्थियों का पक्का घर उपलब्ध रहने के कारण शपथ-पथ पर बयान करने हेतु नहीं आने के चलते कैम्प की प्रगति प्रभावित होने का प्रश्न है, इस संबंध में स्पष्ट करना है कि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जिन्हें पूर्व से पक्का घर है वैसे परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं होना चाहिए था क्योंकि यह योजना बेघर बी.पी.एल. परिवार को आवास उपलब्ध कराने की योजना है । अतएव जिन्हें पूर्व से पक्का घर है उन्हें इंदिरा आवास की सहायता राशि देय नहीं है ।

इसी प्रकार शिविर में प्राप्त होने वाले बी.पी.एल. से संबंधित शिकायतों की जॉच एवं सुनवाई की कार्रवाई भी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी । विभागीय पत्रांक 7797 दिनांक 29.06.11 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

16/8/11

(ए0 संतोष मैथ्यू)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 68756 पटना, दिनांक 17/8/11

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/8/11

प्रधान सचिव